



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23, एलनगंज, प्रयागराज-211002

पत्रांक:शि०से०आयोग / 53

/अधियाचन / 2026-27 दिनांक : 07.04. 2026

विज्ञप्ति / आवश्यक सूचना

आयोग की सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51) चयन पुनर्परीक्षा दिनांक 18 एवं 19 अप्रैल, 2026 को दो-दो पालियों में आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रस्तावित 53 परीक्षा केन्द्रों पर पूर्वान्ह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा अपरान्ह 02:30 बजे से 04:30 बजे तक आयोजित की जायेगी। तिथिवार, विषयवार एवं पालीवार विवरण निम्नवत् है :-

Advt. No.-51 Assistant Professor -Re-Exam					
EXAM DATE. : 18 April, 2026					
I Shift (09.30 to 11.30 AM)			II Shift (02.30 to 04.30 PM)		
Sl.No.	Subject	Code	Sl.No.	Subject	Code
1	Asian Culture	33	1	Botany	71
2	Music Tabla	27	2	Agricultural Economics	88
3	Physical Education	50	3	Hindi	01
4	Urdu	07	4	Law	64
5	English	10	5	Animal Husbandry and Dairying	92
6	Sociology	41	6	Music Vocal	25
7	Chemistry	70	7	Philosophy	39
8	Education	38	8	Anthropology	40
9	Zoology	72			
EXAM DATE. : 19 April, 2026					
I Shift (09.30 to 11.30 AM)			II Shift (02.30 to 04.30 PM)		
Sl.No.	Subject	Code	Sl.No.	Subject	Code
1	Horticulture	90	1	Statistics	77
2	Military Science/Defence Studies	51	2	Psychology	37
3	Drawing	20	3	Economics	43
4	Home Science	53	4	Political Science	44
5	Sanskrit	16	5	Ancient History	31
6	History	30	6	Commerce	68
7	Mathematics	75	7	Music Sitar/Instrumental	26
8	Geography	36	8	Physics	76

तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना सम्बन्धी विवरण वेबसाइट <https://upessc.up.gov.in> पर दिनांक 08.04.2026 से जारी किया जायेगा। सम्बन्धित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध लिंक पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकते हैं।

सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यह परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है। प्रवेश पत्र उक्त वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 15 अप्रैल 2026 से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।


उपसचिव